



दिनांक:- 02.06.2023

प्रेस नोट – जनपद फतेहगढ़

गैंगस्टर की सम्पत्ति जब्तीकरण कार्यवाही

05 गैंगस्टर अभियुक्तगण व उसके परिजनो की कुल 3,567,143 रुपये लगभग मूल्य की चल-अचल सम्पत्ति को विधिवत मुनादी कराकर कुर्कु किया जाये:-

श्री संजय कुमार सिंह जिलाधिकारी फर्रुखाबाद एवं श्री अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ़ के संयुक्त कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत 1. थाना अमृतपुर में पंजीकृत क्रमशः मु0अ0सं0 100/2022 व 116/2022 धारा 3 (1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण 1- जयवीर सिंह यादव पुत्र स्व0 रोशन सिंह निवासी ग्राम परतापुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ 2- विपिन अवस्थी पुत्र राजेन्द्र 3- विनोद अवस्थी उर्फ भरे पुत्र राजेन्द्र अवस्थी 4- रामबाबू उर्फ बड़े लल्ला पुत्र राजेन्द्र अवस्थी 5- अरूण अवस्थी उर्फ नन्हे लल्ला पुत्र राजेन्द्र अवस्थी निवासीगण कस्बा व थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने साथियोंकी मदद से अनैतिक कार्यों से धन अर्जित करके चल व अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है:-

जब्त सम्पत्ति कीमत लगभग-

क्र0सं0	अभियुक्तगण का नाम व पता	सम्पत्ति का मूल्य
1.	जयवीर सिंह यादव पुत्र स्व0 रोशन सिंह निवासी ग्राम परतापुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़	5,06,400 रू0
2.	विपिन अवस्थी पुत्र राजेन्द्र निवासी कस्बा व थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़	10,14,404 रू0
3.	विनोद अवस्थी उर्फ भरे पुत्र राजेन्द्र अवस्थी निवासी कस्बा व थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़	3,81,500 रू0
4.	रामबाबू उर्फ बड़े लल्ला पुत्र राजेन्द्र अवस्थी निवासी कस्बा व थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़	12,09,839 रू0
5.	अरूण अवस्थी उर्फ नन्हे लल्ला पुत्र राजेन्द्र अवस्थी निवासी कस्बा व थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़	4,55,000 रू0
योग		3,567,143 रू0

उक्त सम्पत्ति को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के द्वारा धारा 14 (1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कुर्क करने का आदेश पारित किया गया था। आदेश के अनुपालन हेतु विधिवत मुनादी कराकर कुर्कु किया जाये।











